JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निर्माण श्रमिकों पर एक अध्ययन

सुनील दत्त, शोध छात्र ,
वाणिज्य विभाग , एम० बी ० जी ० पी० जी ० कालेज हल्द्वानी , नैनीताल

डॉ ० संतोष कुमार आर्या,
असिस्टेंट प्रोफेसर ,
वाणिज्य विभाग , एम० बी ० जी ० पी० जी ० कालेज हल्द्वानी , नैनीताल

प्रस्तावना

असंगठित क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले, कृषि, ठेले पर व्यवसाय करने वाले, खदानों आदि में कार्य करने वाले श्रमिक आते हैं। अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के कारण हमेशा यह श्रमिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। इनका कार्य स्थायी प्रकृति नहीं होता है। निश्चित आय के साधन नहीं होते हैं। शासन–प्रशासन द्वारा इनकी इस स्थिति को सुधारने हेतु कई सामाजिक सुरक्षा योजनाआएँ प्रारभं की गई हैं, बहुत से विधान जैसे ट्रेड यूनियन में सदस्यता, नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन, श्रम कल्याण उपाय, न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी दुर्घटना मुआवजा, बीमा रक्षण पर भी लागू किये गये हैं। इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा असंगठित निर्माण श्रमिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की कोशिश की जा रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इन योजनाओं के प्रति कितने जागरूक हैं एवं उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं यह जानने हेतु उपरोक्त अध्ययन किया गया ळें

कीवर्ड – कल्याणकारी योजनाआएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाआएँ आर्थिक सुरक्षा योजनाआए

साहित्य की समीक्षा

हमारे देश में एक भवन निर्माण श्रमिक अभी भी असंगठित, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा और अल्प–नियोजित है। इस श्रेणी के श्रमिक अन्य निर्माण श्रमिकों की तुलना में अधिक पीड़ित हैं। भवन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक कमजोर वर्ग के होते हैं और इसलिए वे अपने सामान्य हित की खोज में स्वयं को संगठित करने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन, भवन निर्माण श्रमिकों को काम की सुरक्षा की कमी, कम वेतन, काम के अधिक घंटे और सामाजिक और चिकित्सा कल्याण सुविधाओं की कमी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। (के. पोन्नियन, 2016)

भवन निर्माण श्रमिकों को वित्तीय समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं, बीमारियों, दुर्घटनाओं और यहां तक कि जीवन की हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, सामाजिक कल्याण उपायों और सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा लाभों की कमी निर्माण श्रमिकों को प्रभावित करती है। क्योंकि अनियमित अवकाश का समय है, काम के लिए कोई विनियमित समय नहीं है, अपर्याप्त रोजगार, हर दिन कार्यस्थल बदल रहा है, अनियमित मजदूरी आदि, अध्ययन में ऐसे निर्माण श्रमिकों और उनकी समस्याओं और कल्याण उपायों को शामिल किया गया है। (डॉ. गुड्डी तिवारी, 2012)

भवन निर्माण उद्योग भारत में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, लगभग 15 मिलियन काम कर रहे हैं। औद्योगीकरण के आगमन और हाल के विकास के कारण, भवन निर्माण उद्योग में लगे श्रमिक विभिन्न व्यावसायिक विकारों और मनोसामाजिक तनावों के शिकार हैं, इस आकस्मिकता को पूरा करने के लिए मजदूरी पर्याप्त नहीं है, इसके खिलाफ सरकार आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करती है और श्रमिकों का कल्याण, लेकिन व्यवहार में इन योजनाओं की पहुंच अधिकांश श्रमिकों तक नहीं है। (अल्लूरी बालाजी, 2015)

भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं, जैसे सामाजिक सुरक्षा की कमी, कम मजदूरी, ठेकेदारों से शोषण और गिरती सामाजिक स्थिति और साहूकारों से भी समस्याएं। भवन निर्माण उद्योग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है। वास्तव में, अधिकांश लोग रोजगार और आय के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि यह असंगठित क्षेत्र जो आर्थिक विकास का आधार है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इसलिए वे अपने सामान्य हित के लिए खुद को संगठित करने में असमर्थ हैं। (पी. प्रसन्ना, 2016)

भवन निर्माण श्रमिक असंगठित श्रम का एक बड़ा हिस्सा हैं और नियोक्ता के साथ एक अस्थायी संबंध, सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों की कमी, रोजगार की उनकी आकस्मिक प्रकृति, लंबे समय तक और अनिश्चित काम के घंटे, और बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी सुविधाओं की अपर्याप्तता की विशेषता है। भारत में ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले कई कानून खंड हैं। 1996 में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम और 1998 में केंद्रीय नियमों के लागू होने के बाद निर्माण सुरक्षा को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया गया है। (शिवप्रकाश, 2018)

भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं जगह–जगह भिन्न होती हैं और रसायनों, शोर, औजारों या उपकरणों के प्रकार, सुरक्षा उपायों की उपलब्धता, ऊंचाई और पर्यावरण के आधार पर काम करने के लिए काम करने वाले श्रमिक गरीब और कमजोर होते हैं। उनका काम प्रकृति में पूरी तरह से अस्थायी है। सामाजिक–आर्थिक तनाव उनके व्यवसाय के प्रमुख परिणामों में से एक हैं। काम करते समय उनके द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय प्रदान नहीं किए जा रहे हैं या अपनाए नहीं जा रहे हैं। (चौहान, 2017)

भवन निर्माण श्रमिक असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार के अत्यधिक मौसमी चक्र, नियोक्ता–श्रमिकों के औपचारिक संबंध नहीं होने और सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा की कमी के चक्र से पीड़ित हैं। कार्यकर्ता का सहयोग तभी संभव है जब वह अपने नियोक्ता के कार्य करने की स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हो। (रावल, 2018)

आमतौर पर, यह माना जाता था कि एक नियोक्ता का कर्तव्य उनके वेतन को संतोषजनक ढंग से भुगतान करने तक सीमित था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि श्रमिक वेतन से परे कुछ की उम्मीद करते हैं।

चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, परिवहन, मनोरंजन और आवास आदि जैसे स्वैच्छिक कल्याणकारी उपाय श्रमिकों को अधिक संतुष्ट महसूस कराते हैं और कार्यकर्ता को प्रेरित करते हैं। सरकार ने भवन निर्माण उद्योग में काम करने की स्थिति और श्रमिकों के नियमन के लिए अधिनियमों और नियमों को प्रख्यापित तैयार किया। कुछ अधिनियमों में स्वास्थ्य और सुरक्षा कल्याण उपायों को भी शामिल किया गया है, विशेष रूप से विभिन्न सरकारों द्वारा बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में। (चंदन मेहर, 2016 भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं, जैसे सामाजिक सुरक्षा की कमी, कम मजदूरी, ठेकेदारों से शोषण और गिरती सामाजिक स्थिति और साहूकारों से भी समस्याएं। भवन निर्माण उद्योग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है। वास्तव में, अधिकांश लोग रोजगार और आय के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि यह असंगठित क्षेत्र जो आर्थिक विकास का आधार है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इसलिए वे अपने सामान्य हित के लिए खुद को संगठित करने में असमर्थ हैं। (पी. प्रसन्ना, 2016)

भवन निर्माण श्रमिक असंगठित श्रम का एक बड़ा हिस्सा हैं और नियोक्ता के साथ एक अस्थायी संबंध, सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों की कमी, रोजगार की उनकी आकस्मिक प्रकृति, लंबे समय तक और अनिश्चित काम के घंटे, और बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी सुविधाओं की अपर्याप्तता की विशेषता है। भारत में ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले कई कानून खंड हैं। 1996 में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम और 1998 में केंद्रीय नियमों के लागू होने के बाद निर्माण सुरक्षा को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया गया है। (शिवप्रकाश, 2018)

भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं जगह–जगह भिन्न होती हैं और रसायनों, शोर, औजारों या उपकरणों के प्रकार, सुरक्षा उपायों की उपलब्धता, ऊंचाई और पर्यावरण के आधार पर काम करने के लिए काम करने वाले श्रमिक गरीब और कमजोर होते हैं। उनका काम प्रकृति में पूरी तरह से अस्थायी है। सामाजिक–आर्थिक तनाव उनके व्यवसाय के प्रमुख परिणामों में से एक हैं। काम करते समय उनके द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय प्रदान नहीं किए जा रहे हैं या अपनाए नहीं जा रहे हैं। (चौहान, 2017)

भवन निर्माण श्रमिक असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार के अत्यधिक मौसमी चक्र, नियोक्ता–श्रमिकों के औपचारिक संबंध नहीं होने और सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा की कमी के चक्र से पीड़ित हैं। कार्यकर्ता का सहयोग तभी संभव है जब वह अपने नियोक्ता के कार्य करने की स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हो। (रावल, 2018)

आमतौर पर, यह माना जाता था कि एक नियोक्ता का कर्तव्य उनके वेतन को संतोषजनक ढंग से भुगतान करने तक सीमित था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि श्रमिक वेतन से परे कुछ की उम्मीद करते हैं।

चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, परिवहन, मनोरंजन और आवास आदि जैसे स्वैच्छिक कल्याणकारी उपाय श्रमिकों को अधिक संतुष्ट महसूस कराते हैं और कार्यकर्ता को प्रेरित करते हैं। सरकार ने भवन निर्माण उद्योग में काम करने की स्थिति और श्रमिकों के नियमन के लिए अधिनियमों और नियमों को प्रख्यापित तैयार किया। कुछ अधिनियमों में स्वास्थ्य और सुरक्षा कल्याण उपायों को भी शामिल किया गया है, विशेष रूप से विभिन्न सरकारों द्वारा बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में। (चंदन मेहर, 2016)

शोध परिकल्पना

परिकल्पना से आशय है पूर्व चिन्तन। यह शोध की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसका तात्पर्य है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषित करने के बाद उसके कारणों के सम्बंध में पूर्व चिन्तन कर लिया जाता है।

शोध परिकल्पना की सहायता से हमें शोध कार्य करने में आसानी होती है। शोध की निम्न परिकल्पनाएँ हैं :

1. निर्माण श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव है।

शोध प्रविधि

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु दवे निर्देशन पद्धति के माध्यम से 100 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है। निर्माण श्रमिकों से पूछा गया था कि क्या वे सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों या निर्माण श्रमिकों के कल्याण के बारे में जानते हैं। विभिन्न श्रम कल्याण उपायों के बारे में उनकी जागरूकता का विवरण तालिका 4.31 में दिखाया गया है।

तालिका संख्या 1

निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता

क्रम संख्या	विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता	श्रमिकों की संख्या
1.	हां	87
2.	नहीं	13
	योग	100

स्रोत: प्राथमिक डेटा

ग्राफ संख्या 1

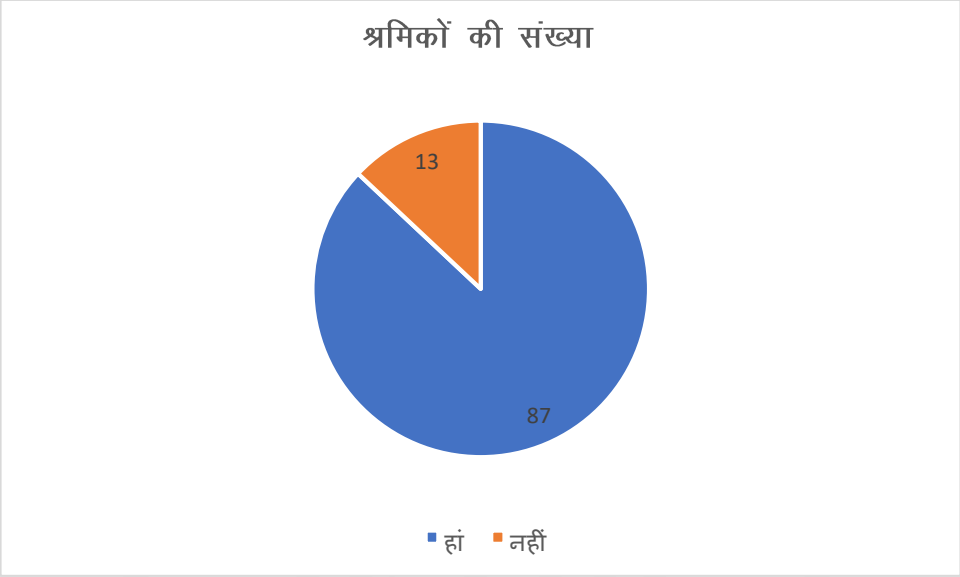

निर्माण श्रमिकों को ज्ञात कल्याणकारी उपायों के बारे में फिर से विभिन्न प्रश्न पूछे गए और विभिन्न श्रम उपायों के बारे में उनकी जागरूकता के विवरण तालिका 1 व ग्राफ संख्या 1 में दिखाए गए हैं।

तालिका संख्या 2

विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता व निर्माण श्रमिकों का उनके कार्य क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण

भवन निर्माण के मजदूरों का कार्यरत क्षेत्र	ट्रेड यूनियन में सदस्यता	नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन	श्रम कल्याण उपाय	न्यूनतम मजदूरी	समान पारिश्रमिक	भविष्य निधि	ग्रेच्युटी	दुर्घटना मुआवजा	बीमा रक्षण	कुल श्रमिक
चिनाई करने वाले	4	6	1	3	4	-	-	-	3	21
बिजली फिटिंग करने वाले	2	2	1	1	1	2	-	1	-	10
लकडी (मॉड्यूलर किचन सहित) का काम करने	-	-	2	1	2	1	1	1	1	9

वाले										
टाइल्स लगाने वाले	1	1	3	2	1	-	1	1	-	10
प्लम्बर	-	1	2	1	1	2	1	-	1	9
पेन्टर	1	2	2	1	2	-	1	1	1	11
वेल्डिंग करने वाले श्रमिक	1	1	3	1	1	-	1	1	1	10
कांक्रिट मिक्सर चलाने वाले श्रमिक	1	1	1	2	2	-	1	1	1	10
चौकीदारी करने वाले श्रमिक	2	1	2	3	2	-	-	-	-	10
योग										**100**

स्रोत प्राथमिक डेटा

उपर्युक्त तालिका में विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता व निर्माण श्रमिकों का उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। कुल 100 श्रमिकों में केवल 87 श्रमिकों को इन विभिन्न कल्याणकारी उपायों के विषय में जागरूकता ज्ञात है और 13 श्रमिक इससे अनभिज्ञ हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निर्माण श्रमिकों को प्राप्त जानकारियों का विस्तार पूर्वक विवरण तालिका संख्या दो में प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर किये गये उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किये जाने की आवश्यकता है जिसे अशिक्षित एवं कम शिक्षित श्रमिक श्री उसे आसानी से समझ सकें एवं योजनाओं से लाभ प्राप्त कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सके।

सुझाव

- सामाजिक सुरक्षा योजना की विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता है।
- योजना हेतु पंजीयन एवं अन्य प्रक्रिया में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने आवश्यकता है जिससे वे योजना के महत्व को समझे एवं श्रमिकों की यथासंभव सहायता कर सकें।
- श्रमिक ठेकेदारों एवं उद्योग मालिकों को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने एवं अपने श्रमिकों का योजना हेतु पंजीयन करवाने एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु नियम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- श्रमिक ठेकेदारों एवं उद्योग मालिकों द्वारा श्रमिकों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यता है।

संदर्भ सूची :

- अल्लूरी बालाजी। (2015)। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संदर्भ में निर्माण श्रमिकों की धारणा पर एक अध्ययन। बिजनेस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2(2), 16।
- चंदन मेहर, सी। (2016)। भारतीय निर्माण में सुरक्षा का महत्व। 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हालिया व्यापार इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रबंधन, 2(3), 8।
- चौहान। (2017)। आगरा शहर में निर्माण स्थल श्रमिकों के बीच सामाजिक-आर्थिक स्थिति और वर्ग चेतना। विश्वविद्यालय। http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/227399 से लिया गया
- डॉ गुड्डी तिवारी (2012)। भवन के श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।पीडीएफ। व्यावसायिक और पर्यावरण चिकित्सा के भारतीय जर्नल में लेख • मई 201, 2(3), 2. http://www.ijoem.com से पुनर्प्राप्त
- के. पोन्नियन। (2016)। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में भवन निर्माण श्रमिकों की समस्याएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स इन्वेंशन। https://doi.org/10.18535/ijmei/v2i11.04
- पी. प्रसन्ना। (2016)। भवन की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां। खंड-3, अंक-4(4)।
- रावल। (2018)। चिपलून, रत्नागिरी जिले, भारत में असंगठित भवन निर्माण श्रमिकों के बीच मनोवैज्ञानिक तनाव और मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ, 1. https://doi.org/10.5455/ijmsph.2018.0101724012018
- शिवप्रकाश। (2018)। भारत में निर्माण सुरक्षा के लिए वैधानिक प्रावधानों पर एक अध्ययन। सिविल इंजीनियरिंग के अभिलेखागार, 64(1), 171-179। https://doi.org/10.2478/ace-2018-0011